न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 92/019 तारीख रजू 19.02.2019

1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली :—प्रार्थी

बनाम

1 गणागोरया पुत्र श्योजी
2 रामसिंह पुत्र परसादी
3 भगवानसहाय पुत्र परसादी
4 हुकमसहाय पुत्र परसादी
5 प्रकाश पुत्र परसादी
6 सतीश पुत्र परसादी
7 अनौखी पुत्री परसादी
8 गोमा पुत्री परसादी

समस्त जातियान मीना निवासीयान राजोर तहसील टोडाभीम जिला करौली

9 बैक ऑफ बडौदा शाखा बालघाट

— अप्रार्थीयान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 11.09.2019

भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम ने अप्रार्थीयान के विरूद्व यह प्रार्थना पत्र रेफरेन्स का प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.57 है0.ग्राम राजोर तहसील टोडाभीम मे स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 58 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात गैरमुमकिन नाला के रूप मे दर्ज था परन्तु जमाबंदी सम्बत 2024 से 26 यह भूमि परसादी,ग्यारसा पुत्र शमोजी अप्रार्थी के नाम जरिये आवंटन से खातेदारी मे दर्ज हो गई है। तत्पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वार गत खसरा नम्बर 58 का नवीन खसरा नम्बर 107 रकवा 0.57 है0 बनाकर हाल जमाबंदी मे सो अप्रार्थीयान के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील तालाब नदी नाले जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदार अधिकार उदभूत नही होते है। इस प्रकार से यह अंकित हस्तानान्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य होने से निरस्त योग्य है। डी0बी0सिबिल

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 107 रकवा 0.57 है0 वाके ग्राम राजोर को वापिस राजकीय भूमि गैरमुमकिन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिऐ प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी, नकल जमाबंदी सम्बत 2040 से 43,,2060 से 63 ,मिलान क्षेत्रफल ,हाल जमांबदी खसरा गिरदावरी नक्शा ट्रेस पेश पेश की है।

प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नं. 2 ता 6 व 9 जरिये बकालान्तन उपस्थित आयो शेष 1,7,8 उपस्थित नही आये। अप्रार्थी नं. 2 ता 6 की ओर से कोई जवाव पेश नही किया गया बंद किया जाता है। अप्रार्थी नं. 9 की ओर जबाब पेश किया अपने जवाव कथन में कहा की विवादित आराजी खातेदार द्वारा बैक के गिरवी रखी गई है जबतक ऋण चूकता नही हो जावे तब तक इनकी खातेदारी समाप्त नही की जावे।

हमने वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत जवाव एवं प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2020 से 2023 की खाता सख्या 01 मे आराजी खसरा नम्बर 58 रकवा 2वीघा 5 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी मे नामान्तकरण संख्या 73 से अप्रार्थीयान के पिता परसादी आदि को भूमि आवंटन हुई। ओर बाद में खातेदारी स्वीकृत हुयी थी हाल जमाबंदी सम्बत 2070 से 73 मे अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। जहा पर वकील अप्रार्थी नं. 9 का कथन है कि इस आराजी को अप्रार्थीयान द्वारा बैक के यहा पर गिरवी रख कर भूमि को रहन रखा गया है। बहा पर यह है कि इस आराजी के अलावा अप्रर्थीयान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उस आराजी से अपना ऋण चूकता कर सकते है। बहा पर यह है कि भूमि साविक रिकॉर्ड में गैर मु0 नाला थी अप्रार्थीयान के पिताओ को गलत तरीके से भूमि का आवंटन हुआ है ओर बाद में उसे बैक के यहा पर रहन रख दिया गया है।जो अवैद्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड मे दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय मे उल्लेख किया हैं कि **All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammened accordingly.** माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका मे पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 107 रकवा 0.57 है0.ग्राम राजोर तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को बापिस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2020 से 2023 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।